लेखा - परीक्षकगणों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
मिश्र धातु निगम लिमिटेड,
हैदराबाद

हमने, मिश्र धातु निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2007 तक के संलग्न तुलन-पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ और हानि लेखों तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष की नकदी प्राप्ति के विवरण की भी लेखा-परीक्षा कर ली है । ये वित्तीय विवरण, कंपनी के प्रबंधन के दायित्व के हैं । हमारा यह दायित्व है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के विषय में अपनी राय प्रकट करें ।

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा किये गये अवलोकन के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा 30 जून, 2007 को लेखों को अपनाया गया और इसकी रिपोर्ट हमने दी तथा उसे संशोधित किया गया । संशोधन के कारण कर की अदायगी से पूर्व के केवल लाभ पर पड़े प्रभाव को, लेखों की अनुसूची सं. 21 की टिप्पणी सं. 23 में दर्शाया गया है। यह रिपोर्ट हमारी 30 जून, 2007 को प्रस्तुत पूर्व रिपोर्ट का अतिक्रमण करती है।

2. हमने, लेखा-परीक्षा के मानक, जिनको भारत में सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा का कार्य किया है । उन मानकों के मुताबिक यह जरूरी है कि हम योजना तैयार करें और लेखा-परीक्षा का कार्य करें ताकि हमें समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके । यह आश्वासन ये पता करने के लिए रहे कि क्या वित्तीय विवरण, सामग्री की अयथार्थता से मुक्त है या नहीं । लेखा-परीक्षा में जॉच-पडताल का कार्य जोकि परीक्षण-आधार पर होता है, इसमें शामिल है, साक्ष्य जो राशि का समर्थन करते है, तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण भी, इसमें शामिल है । लेखा-परीक्षा में उपयोगात्मक लेखा संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंधन द्वारा तैयार किये गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ ही साथ समस्त वित्तीय विवरण संबंधी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल रहता है । हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा का कार्य, हमारी राय के लिए एक उचित आधार दर्शाता है ।

3. जैसाकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप धारा (4 ए) की शर्तों के अनुसार, भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनियों (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) का आदेश 2003 में अपेक्षित है, हमने अनुबंध में उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 व 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण इसके साथ संलग्न किया है ।

4. उपर्युक्त अनुच्छेद-2 में उल्लिखित अनुबंध में दी गई हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त हमारी ये रिपोर्ट है कि :

क) जहाँ तक हमारी जानकारी तथा विश्वास है कि हमने सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में कंपनी ने कानून के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियॉं रखी हैं, जहॉं तक इस बात की पुष्टि का मामला है, उन लेखा बहियों की जॉच करने से यह बात स्पष्ट हो गई है ।

ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्राप्ति के विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते हैं ।

घ) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में उल्लिखित संलग्न किये गए तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा और नकदी प्राप्ति के विवरण, अनिवार्य लेखाविधि स्तर जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3 ग) में उल्लिखित है, के अनुसार, निम्न लिखित को छोडकर, पूरे होते हैं:

(i) वित्तीय विवरणों की अनुसूची-21 में टिप्पणी संख्या 21 के अंतर्गत जैसाकि उल्लिखित है, ए एस-17 सेग्मेंट का अननुपालन । फिर, चालू वर्ष से संबंधित लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता ।

(ii) वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न की गई अनुसूची-21 के अंतर्गत जैसाकि टिप्पणी संख्या 11 में उल्लिखित है, संपूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी को निरंतर प्रक्रियात्मक

संयंत्र के रुप में माना गया है जो तदनुसार किये गए तकनीकी मूल्यांकन और मूल्यहृास पर आधारित है । किसी तरह के विवरण के अभाव में एवं जिसके आधार पर इस प्रकार का व्यवहार किया गया है, हम, आई सी ए आई द्वारा जारी किये गए ए एस-6 (मूल्यहृास लेखाकरण) के उपबंधों, विशेषकर अतिरिक्त शिफ्ट/ शिफ्टों के लिए मूल्यह्रास के उपबंध के पालन के विषय में अपनी राय प्रकट नहीं कर सकते हैं ।

(iii) जैसा कि टिप्पणी सं. 16.2 में उल्लिखित है, कंपनी ने मिघानी और डी एम आर एल द्वारा संयुक्त स्वायित्व के टाईटेनियम ट्यूब संयंत्र, पर अगर कोई हो तो क्षति पहुँचानेवाली हानि का मूल्यांकन नहीं किया है, क्योंकि मिधानी द्वारा संयंत्र को अपना बना लेना का मामला रुका पड़ा है। अतः यह ए एस–28 (आस्तियों की क्षति) के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

(ड.) विधि न्याय और कंपनी कारोबार मंत्रालय, कंपनी मामलों के विभाग के 22 मार्च, 2002 की तारीख के सामान्य परिपत्र सं.8/2002 की शर्तों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (छ) के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दी है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं दी गई है ।

(च) हमारी राय में एवं जहॉ तक हमारी जानकारी है एवं हमें जो स्पष्टीकरण दिये गए हैं, उनके अनुसार उक्त लेखे, उपरोक्त पैरा-4 (घ) की शर्तों के अनुसार तथा महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियों के साथ पठित और विशेषकर निम्न लिखित अनुसार इसकी अन्य टिप्पणियों के विषय में विशेषकर यह कहना है कि :

- ग्राहक-वित्तीय परियोजनाओं के विषय में शेष राशियों की अप्राप्ति पुष्टि की जिसके कारण लेखे का निपटान {नोट-4(ii)} रुका पड़ा है।
- विविध देनदारों से बकाये की राशियॉं, ऋण और अग्रिम धन, प्राप्य योग्य दावे, जमा राशियॉं, विविध लेनदार, ठेकेदारों / उप ठेकेदारों और अन्य के पास सामग्रियॉं जो पुष्टि और / या समायोजन के अधीन हैं (टिप्पणी सं.7) ।

ये लेखे, कंपनी अधिनियम, 1956 के मुताबिक जिस रुप में आवश्यक जानकारी देना अपेक्षित होता है, देते हैं एवं ये सच्चा व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जोकि भारत में सामन्यतः स्वीकार किये गए लेखाविधि सिद्धांतों के अनुरुप है :

(i) जहाँ तक तुलन-पत्र का मामला है, ये 31 मार्च, 2007 की तारीख तक कंपनी के कारोबार की स्थिति के विषय में है ।

(ii) जहाँ तक लाभ व हानि लेखे का मामला है, ये उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के कंपनी को हुए लाभ की स्थिति के विषय में है, और

(iii) नकदी प्राप्ति के मामले में, इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित कंपनी के नकदी प्राप्ति का विवरण ।

कृते वेणुगोपाल एंड शनॉय,
सनदी लेखापाल
ह0/–
(डी.वी.जानकीनाथ)
भागीदार
सदस्यता सं.29505

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16-08-2007

लेखा-परीक्षाकगणों की रिपोर्ट का अनुबंध

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद-3 में निर्दिष्ट)

(i) कंपनी की नियत आस्तियों के संबंध में :

क) उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कंपनी ने समुचित रुप से रिकार्ड्स रखे हैं और इससे नियत आस्तियों की स्थिति तथा उनके परिमाण संबंधी पूरे ब्योरे मौजूद हैं ।

ख) हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक रुप से सत्यापन, वर्ष के दौरान, चरणबद्ध रुप में प्रबंधन तथा सनदी लेखापाल के एक फर्म द्वारा किया गया, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों के स्वरुप के अनुसार यथोचित है । इस तरह के वास्तविक सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की सामग्री संबंधी विसंगतियाँ देखने में नहीं आयी हैं ।

ग) हमारी राय में कंपनी ने, वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के किसी भाग को बेचा नहीं है और इससे कंपनी की कार्यरत स्थिति पर प्रभाव नहीं पडा है।

(ii) कंपनी की मालसूचियों के विषय में :

क) हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, मालसूचियों का वास्तविक रुप से सत्यापन, वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर प्रबंधन और सनदी लेखापाल के फर्मों द्वारा मालसूची की जांच की गयी । हमारी राय में, सत्यापन की बारंबारता यथोचित है।

ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन ने, मालसूचियों के वस्तुतः सत्यापन की जो क्रियाविधि अपनायी है, वह कंपनी के आकार व उसकी कार्य प्रकृति को देखते हुए उचित एवं पर्याप्त है ।

ग) कंपनी ने मालसूचियों का उचित रुप से रिकार्ड रखा है । हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, मालसूची के वस्तुतः सत्यापन पर किसी प्रकार की सामग्री संबंधी विसंगतियाँ, रिकार्ड से मिलान करने पर, देखने में नहीं आयी हैं ।

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को / से कंपनी ने, न तो कोई ऋण की स्वीकृति दी है और न ही कोई ऋण लिया है । अतः, अनुच्छेद-(iii) (क) से (छ) तक लागू नहीं होते।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची, स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद और सामग्रियों की बिक्री एवं सेवाओं के लिए भी, कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरुप यहाँ समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ मौजूद हैं । हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के दौरान हमको, आंतरिक नियंत्रणों में कोई प्रमुख कमजोरी नहीं दिखायी दी ।

(v) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत सम्मिलित लेन-देन के विषय में :

(क) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ठेके या व्यवस्थाओं के अनुसरण में कोई लेन-देन नहीं किया गया जो, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज करने के लिए आवश्यक रहा हो । अतः, अनुच्छेद-V (क) और (ख) लागू नहीं होते।

(vi) कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियाँ स्वीकार नहीं की है । अतः, अनुच्छेद-(vi) के उपबंध लागू नहीं होते।

(vii) हमारी राय में कंपनी की आंतरिक लेखा-परीक्षा पद्धति, कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरुप है ।

(viii) कंपनी के कुछ निर्माणी कार्यकलापों के विषय में केन्द्र सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकाई्स का रख-रखाव करना, निर्धारित किया है । इस सिलसिले में कंपनी के लेखों की पुस्तकों और रिकार्डों की हमने मोटे तौर पर समीक्षा की और हमारी ये राय है कि प्रत्यक्षतः निर्धारित लेखे और रिकाई्स तैयार किये गए हैं और इनका रख-रखाव किया जा रहा है । फिर भी, हमने इनका विस्तृत रुप से परीक्षण नहीं किया है ।

(ix) सांविधिक बकायों के संबंध में :

(क) कंपनी के रिकार्डों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, उपकर सहित अविवादग्रस्त सांविधिक बकाये और अन्य सांविधिक बकाये, उपयुक्त प्राधिकारियों के पास सामान्यतः नियमित रुप से जमा किये जा रहे हैं । हमें दी गई जानकारी और प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त बकाये जो 31 मार्च, 2007 की तारीख तक छह महीने से अधिक समय के लिए जिस तिथि से देय रहे हैं, उससे संबंधित कोई अविवादग्रस्त रकम, कंपनी द्वारा देय नहीं है ।

ख. विवादग्रस्त सांविधिक बकाये की 2281.78 लाख रुपये की निम्न कुल राशि, जो इस प्रकार उपयुक्त प्राधिकारी के पास अनिर्णीत विषयों के कारण जमा नहीं करवायी गई :

क्रम सं.	संविधि का नाम	बकाये का स्वरुप	फोरम जहाँ विवाद अनिर्णीत है	राशि (रुपये)
1.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	उत्पाद शुल्क	सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के आयुक्त	22,27,71,915
2.	वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा-कर)	सेवा-कर	सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संयुक्त आयुक्त	29,68,387
3.	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	आयकर आयुक्त (अपील)	24,38,060

(x) चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कंपनी को कोई संचित हानियाँ नहीं हुईं और हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा से यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष के दौरान या तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कंपनी ने कोई नकद हानियाँ नहीं उठायीं ।

(xi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों को बकाये की चुकौती करने में कोई चूक नहीं की।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार-प्रतिभूति के आधार पर तथा शेयर्स, ऋण-पत्र और अन्य प्रतिभूतियों के बंधक के रुप में कंपनी ने, कोई ऋण और अग्रिम-धन की स्वीकृति नहीं दी ।

(xiii) हमारी राय में ये कंपनी, कोई चिट फण्ड या कोई निधि/ आपसी हित निधि / समिति नहीं है । अतः, अनुच्छेद-4(xiii) लागू नहीं होता ।

(xiv) कंपनी-शेयर्स, प्रतिभूतियों, ऋण-पत्रों और अन्य निवेशों का निपटान / व्यवसाय नहीं करती है । अतः अनुच्छेद-4(xiv) लागू नहीं होता ।

(xv) कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से अन्य द्वारा लिये गए ऋणों के लिए गारंटी दी है । दी गई जानकारी और दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी ये राय है कि कंपनी के हित में, उसके निबंधन और शर्तें प्रत्यक्षतः प्रतिकूल नहीं है ।

(xvi) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई नये मीयादी ऋण नहीं लिये हैं ।

(xvii) हमें दी गई जानकारी और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच करने पर हमारी राय है कि कंपनी ने, दीर्घावधि निवेश के लिए अल्पावधि आधार पर उठायी जाने वाली किन्हीं निधियों का उपयोग नहीं किया है ।

(xviii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सम्मिलित पार्टियों और कंपनियों के लिए शेयर्स का कोई अधिमान्य आबंटन, वर्ष के दौरान कंपनी ने नहीं किया है ।

(xix) कंपनी ने, ऋण-पत्रों को जारी करने के रूप में कोई रकम नहीं उठायी है ।

(xx) कंपनी ने, सरकारी निगम के रूप में जनता से कोई रकम नहीं उठायी है । अतः, अनुच्छेद-4(xx) लागू नहीं होता ।

(xxi) हमें दी गई जानकारी और दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान न कोई धोखेबाजी किये जाने की बात मालूम हुई या कंपनी द्वारा इस बारे में कोई रिपोर्ट की गई, जिसकी वजह से वित्तीय विवरण, पर्याप्त मात्रा में अयर्थाथपूर्ण हो गये होते ।

कृते वेणुगोपाल एंड शनाय,
सनदी लेखापाल,

ह0 / –

(डी.वी. जानकीनाथ)
भागीदार
सदस्यता सं. 29505

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16-08-2007